काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा जारी अधिसूचना सं0 225, सन् 1916 द्वारा स्थापित)

वाराणसी –221005

निविदा सूचना

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय मुख्य परिसर एवं इसके राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मीरजापुर में विभिन्न स्थानों पर वाहन/साइकिल स्टैण्ड/कैन्टीन/दुकान/गुमटी आदि के संचालन हेतु मुहर बन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति/संस्था निविदा पपत्र कक्ष सं0 42, सम्पदा कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से दिनांक **01.05.2018** से **15.05.2018** के बीच किसी भी कार्य दिवस में तथा कार्यालयीय समय में ` 500/– के नकद भुगतान पर प्राप्त कर सकते है। पूर्ण रूप से भरे हुए निविदा आवेदन प्रपत्र को उक्त विभाग में जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक **15.05.2018** सायं 3.00 बजे तक ही है। निविदा की विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय के वेवसाइट www.bhu.ac.in पर भी उपलब्ध है।

उप कुलसचिव (सम्पदा)

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं राजीव गांधी दक्षिणी, बरकछा, मीरजापुर परिसर स्थित निम्नलिखित स्थानों पर वाहन/साइकिल स्टैण्ड एवं कैन्टीन/दुकान/गुमटी आदि के संचालन हेतु संलग्न शर्तों पर देश के विभिन्न प्रतिष्ठित खाद्य श्रृंखलाओं (**Food Chains**)/फर्मों/व्यक्तियों से मुहर बन्द निविदाएं आमन्त्रित की जाती है। यह अपेक्षित है कि इन कैन्टीन/दुकान/गुमटी आदि का निर्माण अत्याधुनिक तरीके से तथा उच्च स्तरीय सुविधाओं से युक्त होगा एवं इनके संचालन में उच्च कोटि के खाद्य पदार्थों (फास्ट फुड, पेप्सी, कोका कोला एवं लिम्का इत्यादि के अतिरिक्त) की बिक्री की जायेगी।

1. कैन्टीन/दुकान/गुमटी आदि का विवरण

क्र0 सं0	स्थान	क्षेत्रफल (लगभग)	निर्मित/खूली
1	प्रबन्ध शास्त्र संस्थान	8X10 स्कावयर फीट	खूली भूमि
2	भारत कला भवन	—	निर्मित कैन्टीन
3	शिक्षा संकाय, कमच्छा	8X10 स्कावयर फीट	खूली भूमि
4	राजीव गांधी दक्षिणी परसिर 1. जलपान गृह 2. फल—जूस व सब्जी की गुमटी 3. स्नैक बार कैन्टीन, गुमटी 4. स्टेशनरी, इन्टरनेट आदि, गुमटी	 कैन्टीन का आधा भाग 8X10 स्कावयर फीट 8X10 स्कावयर फीट 8X10 स्कावयर फीट	 निर्मित कैन्टीन खूली भूमि निर्मित खूली भूमि
5	चिकित्सा विज्ञान संस्थान — 1.एन0एल0टी0 संकुल की निचली मंजील। 2.पानी टंकी के पास।	 4000 स्क्वायर फीट 400 स्क्वायर फीट	 अच्छादित क्षेत्र —

2. वाहन/साइकिल स्टैण्ड (सर सुन्दरलाल चिकित्सालय एवं श्री विश्वनाथ मंदिर पर) का विवरण

Sl. No.	Location	Relevant Proposal	Area (Sq. Ft.)	Open/ Build up	Remarks
1	**Sir Sunderlal Hospital**				
	A) Adjacent to Ayurveda OPD building	Vehicle Stand	13750.50	Open	
	B) Space behind pediatric Surgery and ENT building	Vehicle Stand	11160.00	Open	
	C) Space adjacent to ENT builidng, near gate opening to Lanka	Vehicle Stand	4098.80	Open	
	D) Road side space adjacent to Psychiatry toward right side of the Hospital gate	Vehicle Stand	6251.70	Open	
	E) Road side space opposite to the Bhuwalaka Dharmshala	Vehicle Stand	6994.80	Open	Four wheel vehicles for Consultants
	F) Space on the both side of the Road adjacent to Special Ward building towards Office of the Medical Superintendent	Vehicle Stand	11592.00	Open	Four wheel & two wheel vehicles for Resident Doctors & Staff
	G) Near Ashray	Vehicle Stand	15170.00	Open	For Consultants
	Total area (Sq. Ft.)		**69017.80**		
2	**Shri Vishwanath Temple**	Vehicle/ Cycle Stand	-	Open	

FAX: (91) 542-2368487
Website: www.bhu.ac.in
Ph. No. 0542 – 2368487, 230-7251, 6701762

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा जारी अधिसूचना सं0 225, सन् 1916 द्वारा स्थापित)

कुलसचिव कार्यालय (सम्पदा)

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय मुख्य परिसर एवं इसके राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मीरजापुर में कैन्टीन/दुकान/गुमटी आदि के आवंटन हेतु निविदा की नियम एवं शर्तें

1. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर एवं राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मीरजापुर में सुनिश्चित स्थानों पर कैन्टीन/दुकान/गुमटी आदि के सचालन हेतु 11 महीनों के लिये मुहर बन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निविदा की अवधि प्रथमथः 11 महीनों के लिये होगी, जो कि लाईसेन्स प्रदत्त फर्म/संस्था/व्यक्ति के कार्य की गुणवत्ता इत्यादि को देखकर बढ़ायी भी जा सकती है।
2. प्रत्येक स्थान पर निर्धारित दुकान आदि हेतु अलग–2 निविदा फार्म भरना अनिवार्य है। नियमानुसार उच्च निविदा अंकित फर्म/संस्था/व्यक्ति को वरीयता क्रम से **केवल एक ही दुकान का लाइसेंस प्रदान किया जायेगा।**
3. प्रत्येक दुकान हेतु अलग से निविदा फार्म एवं धरोहर राशि का ड्राफ्ट संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।
4. उपरोक्त कैण्टीन/दुकान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले शोध छात्रों, अध्यापकों, कर्मचारियों, मरीजों/परिचारकों के लिए विश्वविद्यालय के अन्य कैण्टीनों के अनुरूप जलपान की व्यवस्था निर्धारित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए खोली जा रही है। उक्त कैण्टीन/दुकान के खुलने एवं बन्द होने के समय विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
5. निविदा प्रपत्र काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (मुख्य परिसर) के सम्पदा कार्यालय में दिनांक 01.05.2018 से 15.05.018 के बीच प्रातः 11:00 बजे से सांय 3:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में रू0 500/– के नकद भुगतान पर (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्राप्त कर एवं पूर्णरूपेण भर कर जमा किया जा सकता है।
6. प्रत्येक निविदा के साथ रू0 20,000/– का (रू0 बीस हजार मात्र) डिमांड ड्राफ्ट धरोहर राशि के रूप में कुलसचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के नाम पर संलग्न करना अनिवार्य है। चेक अथवा नकद भुगतान स्वीकार नहीं किये जायेगें। उक्त धरोहर राशि को सफल फर्म/संस्था/व्यक्ति के निविदा राशि में समायोजित कर लिया जायेगा एवं अन्य को धरोहर राशि लौटा दी जायेगी।
7. अधितकम निविदा राशि अंकित करने वाले फर्म/संस्था/व्यक्ति की निविदा को सफल निविदा माना जायेगा तथा उनके द्वारा अंकित राशि को उक्त कैण्टीन/दुकान हेतु प्रतिमाह की लाइसेंस फीस मानी जायेगी, जिसका भुगतान आवंटन के पश्चात लाइसेंसी फर्म/संस्था/व्यक्ति द्वारा प्रत्येक माह में प्रथम सप्ताह को कर दिया जायेगा। साथ ही प्रत्येक माह के लाइसेंस फीस पर भारत सरकार द्वारा लागू वस्तु एवं सेवा कर अथवा समय–2 भारत सरकार द्वारा लागू कर भी देय होगा। यदि किसी लाइसेंसी द्वारा 03 महीने तक लाइसेंस फीस, कर एवं अन्य बकायों का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उनके विरूद्ध ''दुकान आवंटन एवं निष्कासन नियमावली'' के तहत कार्यवाही की जायगी।

8. सफल फर्म/संस्था/व्यक्ति का चयन सुनिश्चित हो जाने के पश्चात उनके द्वारा प्रस्तावित निविदा राशि की तीन गुना कुल धनराशि निविदा खुलने के 7 दिनों के अन्दर जमा कर देना अनिवार्य होगा। किसी भी अवस्था में धरोहर राशि वापसी के समय किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जायेगा। निविदा में लगायी गयी कुल धनराशि तथा धरोहर राशि को जमा करने पर ही सफल फर्म/संस्था/व्यक्ति को उपरोक्त कैण्टीन/दुकान चलाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। ऐसा न करने पर यह समझा जायेगा कि चयनित फर्म/संस्था/व्यक्ति उपरोक्त कैण्टीन चलाने के इच्छुक नहीं है एवं उनके द्वारा जमा की गयी रू0 20,000/— की धरोहर राशि को जब्त करते हुए अगली अधिकतम राशि अंकित करने वाली निविदा पर विचार किया जायेगा।
9. विश्वविद्यालय किसी एक अथवा सभी निविदाओं को बिना किसी पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार रखता है।
10. निविदा में प्रस्तावित राशि सुपाठ्य एवं साफ सुथरी होनी चाहिए। निविदा राशि शब्दो एवं अंको दोनो में होनी चाहिए। निविदा राशि में की गयी किसी भी प्रकार का संशोधन (Overwriting) निविदा को निरस्त करने के लिए पर्याप्त है। यदि शब्दो एवं अंको में दर्शायी गयी राशि में किसी प्रकार का अन्तर होता है तो दोनो में से जो अधिक राशि होगी वही मान्य होगी। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
11. दो या अधिक फर्मों/संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा अंकित की गई निविदा राशि समान पाये जाने पर कैण्टीन/दुकान संचालन हेतु फर्म/संस्था/व्यक्ति के चयन का अधिकार विश्वविद्यालय के पास होगा जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
12. अहस्ताक्षरित निविदा को अयोग्य घोषित करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।
13. सफल फर्म/संस्था/व्यक्ति जिनको कि उक्त कैण्टीन/दुकान चलाने हेतु लाईसेन्स प्रदत्त किया जायेगा, उनकी कैण्टीन/दुकान की स्वच्छता, कैण्टीन/दुकान में बिक्री की जाने वाली सामाग्रियों की गुणवत्ता इत्यादि बनाये रखने की भी जिम्मेदारी होगी, जिसकी जाँच समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत समिति/व्यक्तियों से कराई जायेगी तथा इसमें किसी भी प्रकार की कमी या किसी भी तरह की लापरवाही लाईसेन्स निरस्त करने का पर्याप्त कारण बन सकती है।
14. इच्छुक फर्मों/संस्थाओं/व्यक्तियों को यह सुझाव दिया जाता है कि वे निविदा राशि अंकित करने से पूर्व आवंटन हेतु प्रस्तावित स्थान एवं क्षेत्रफल तथा विक्रय की जाने वस्तुओं का आकलन करके ही निविदा राशि अंकित करें, क्योंकि बाद में इन्हें आधार बनाकर निविदा दर में किसी प्रकार की शिथिलता/बदलाव का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
15. इच्छुक फर्म/संस्था/व्यक्ति अपने निविदा के साथ कैण्टीन/मेस/दुकान चलाने का कार्य अनुभव का ब्योरा (यदि कोई हो तो) संलग्न करें। कार्य अुनभव वाले व्यक्तियों/संस्थाओं को लाइसेंस निर्गत करने में वरीयता प्रदान की जायेगी।
16. उक्त कैण्टीन हेतु गैस, चूल्हा, बर्तन, साज सज्जा इत्यादि की स्तरीय व्यवस्था लाईसेन्स प्रदत्त फर्म/संस्था/व्यक्ति को ही अपने व्यय पर करनी होगी। कैण्टीन/दुकान हेतु जल एवं विद्युत बिल का भुगतान बिल के आधार पर अलग से देय होगा।
17. उक्त कैण्टीन/दुकान हेतु फर्नीचर, वाटर कूलर एवं वाटर प्यूरीफायर की व्यवस्था सम्बन्धित फर्म/संस्था/व्यक्ति द्वारा करायी जायेगी।
18. उक्त कैण्टीन में नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों द्वारा ग्राहको से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा होगी तथा उन्हें साफ सुथरे वर्दी में होना अनिवार्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी लाइसेंस प्रदत्त फर्म/संस्था/व्यक्ति की होगी।

19. निविदा में फर्म/संस्था/व्यक्ति को लाइसेंस जारी करने से पहले उनका पुलिस/विश्वविद्यालय के मुख्य आरक्षाधिकारी द्वारा उनके चाल चलन इत्यादि का सत्यापन कराया जायेगा तथा चाल चलन अच्छा पाये जाने के पश्चात् ही लाइसेंस जारी किया जायेगा।

20. चयनित फर्म/संस्था/व्यक्ति द्वारा नियुक्त कैन्टीन/दुकान में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों का फोटोयुक्त आवासीय विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना होगा जिससे उनके चाल चलन इत्यादि का सत्यापन आवश्यकतानुसार कराया जा सके।

21. चयनित फर्म/संस्था/व्यक्ति के द्वारा नियुक्त कैण्टीन में कार्यरत सभी कर्मचारियों को किसी भी संक्रामक बीमारी से ग्रसित होने पर विश्वविद्यालय को यह अधिकार होगा कि उन्हें तत्काल प्रभाव से कैण्टीन/दुकान की सेवा से वंचित करने का निर्णय ले सके तथा चयनित फर्म/संस्था/व्यक्ति को उन्हें तुरन्त सेवा से वंचित करना होगा।

22. चयनित फर्म/संस्था/व्यक्ति किसी भी रूप में बाल श्रमिक को कैण्टीन संचालन हेतु नहीं रखेगी।

23. यदि उपरोक्त कैण्टीन/दुकान संचालन हेतु जिला प्रशासन से किसी भी प्रकार की आदेश की आवश्यकता बनती है तो उसको प्राप्त करने की जिम्मेदारी चयनित फर्म/संस्था/व्यक्ति की होगी।

24. प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित लाइसेंस फीस की समीक्षा की जायेगी और लाइसेंस अवधि बढ़ाये जाने की स्थिति में यदि उचित समझे जाने पर 5 प्रतिशत की आवश्यक बढ़ोत्तरी भी की जायेगी, जो की लाईसेन्स प्रदत्त फर्म/संस्था/व्यक्ति को मान्य होगा। साथ ही उस पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा लागू वस्तु एवं सेवा कर अथवा समय–2 पर सरकार द्वारा लागू कर भी देय होंगे।

25. निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी रखने हेतु यदि विश्वविद्यालय के संज्ञान में आता है कि किसी फर्म/संस्था/व्यक्ति की निविदा भ्रामक है जो कि एक सुयोग्य निविदा को इस निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित होने में बाधा पहुंचा रही है तो उस निविदा को निरस्त करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय बाध्यकारी, सर्वमान्य एवं अन्तिम होगा।

26. विश्वविद्यालय एवं उसके किसी कर्मचारी के द्वारा इस निविदा प्रक्रिया में विश्वविद्यालय के हित में लिये गये निर्णय के विरूद्व किसी भी प्रकार का वाद अथवा अन्य विधिक प्रक्रिया लागू नहीं होगी।

27. प्रस्तावित कैन्टीन/दुकानों हेतु प्रदत्त स्थान पर ही कैन्टीनों/दुकानों का संचालन किया जायेगा जिसका निर्माण आधुनिक तरिकों से करते हुए (मूल ढ़ाचे में बिना कोई बदलाव किये हुए) संचालक द्वारा किया जायेगा।

28. विश्वविद्यालय सेवा में कार्यरत कोई भी कर्मचारी अथवा छात्र की उपरोक्त निविदा मान्य नहीं होगी।

29. विश्वविद्यालय की लाइसेंस आवंटन सम्बन्धित परिनियमावली के अधीन लाइसेंस को निरस्त किया जा सकता है।

30. दुकान/गुमटी लाइसेंसी द्वारा बनाये जाने के स्थिति में उनके द्वारा बनायी गयी दुकान/गुमटी का हस्तान्तरण/अहस्तान्तरण का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा, जिसको लाइसेंसी मानने के लिये बाध्य होगा।

31. इच्छुक फर्म/संस्था/व्यक्ति द्वारा कैन्टीन संचालन हेतु Food Safety and Standards Act, 2006 के अन्तगर्त पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, इसके बिना निविदा अस्वीकार कर दिया जायेगा।

कुलसचिव
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

FAX: (91) 542-2368487
Website: www.bhu.ac.in
Ph. No. 0542 – 2368487, 230-7251, 6701762

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा जारी अधिसूचना सं0 225, सन् 1916 द्वारा स्थापित)

कुलसचिव कार्यालय (सम्पदा)

मूल्य रू0 500/– मात्र

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मीरजापुर में कैन्टीन/दुकान/गुमटी आदि के संचालन हेतु निविदा प्रपत्र

नवीनतम फोटोग्राफ

कुलसचिव
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी।

विषयः काशी हिन्दू विश्वविद्यालय एवं राजीव गांधी दक्षिणी परिसर, बरकछा, मीरजापुर में दुकान/कैन्टीन/गुमटी आदि के संचालन हेतु निविदा

महोदय,

आपके द्वारा उपरोक्त .... संचालन हेतु आमन्त्रित निविदाओं हेतु मैं/हम अपनी निविदा आप द्वारा निविदा सूचना दी गयी शर्तो पर प्रस्तावित कर रहा हूँ/रहे हैं।

मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तावित निविदा राशि (लाईसेन्स फीस) रू0 .... (अंको में) रू0 .... (शब्दो में) प्रति माह है।

1. मैं/हम उपरोक्त कैन्टीन/दुकान/गुमटी के स्थान एवं स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट हैं तथा निविदा सूचना में अंकित सभी शर्तो को ध्यान से पढ़ा हूँ/पढ़े हैं। मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/है कि उपरोक्त कैन्टीन/दुकान/गुमटी की निविदा स्वीकृत होने के 15 दिनों के अन्दर प्रारम्भ कर दूगाँ/देगें।
2. मैं/हम धरोहर राशि के रूप में कुलसचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के नाम से रू0 20,000/– (रू0 बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट नं0 .... (बैंक का नाम) दिनांक .... इस प्रपत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ/रहे हैं जिसकी वापसी की दशा में मेरे/हमारे द्वारा कोई ब्याज प्राप्य नहीं होगा।
3. मैं/हम इस बात से भी सहमत है कि यदि निविदा स्वीकार होने के 7 दिनों के अन्दर मैने/हमने कुल निविदा धरहोर राशि (प्रस्तावित निविदा राशि का तीन गुना) जमा नहीं किया तो उपरोक्त धरोहर राशि को जब्त कर लिया जाएगा।
4. मैं/हम इस बात से भी भिज्ञ है कि कुलसचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय सर्वाधिक निविदा राशि वाली निविदा अथवा अन्य किसी निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं हैं।
5. उपरोक्त प्रस्तावित निविदा राशि मेरे/हमारे द्वारा शब्दो एवं अंकों दोनो में दी गयी है। यदि किसी भी प्रकार से दोनो में अन्तर पाया जाता है तो उनमें से जो राशि अधिक होगी वही मान्य होगा और इस सम्बन्ध में मुझे/हमें विश्वविद्यालय का अन्तिम निर्णय मान्य होगा।

(निविदा कर्ता का नाम) :
पिता/पति का नाम :
पत्राचार हेतु पता :
दिनांकः
फोन/मोबाइन नं0 :
पहचान एवं निवास प्रमाण–पत्र (संलग्नक सहित) :
(आधार कार्ड/वोटर आई0डी0/पैन कार्ड आदि)

FAX: (91) 542-2368487
Website: www.bhu.ac.in
Ph. No. 0542 – 2368487, 230-7251, 6701762

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा जारी अधिसूचना सं0 225, सन् 1916 द्वारा स्थापित)

कुलसचिव कार्यालय (सम्पदा)

मूल्य रू0 500/– मात्र

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सर सुन्दरलाल चिकित्सालय एवं श्री विश्वनाथ मन्दिर के पास वाहन/साइकिल स्टैण्ड संचालन हेतु निविदा प्रपत्र

नवीनतम फोटोग्राफ

कुलसचिव
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी।

विषयः काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सर सुन्दरलाल चिकित्सालय एवं श्री विश्वनाथ मन्दिर के पास वाहन/साइकिल स्टैण्ड के संचालन हेतु निविदा।

महोदय,

आपके द्वारा उपरोक्त .... संचालन हेतु आमन्त्रित निविदाओं हेतु मैं/हम अपनी निविदा आप द्वारा दी गयी निविदा सूचना एवं शर्तों पर प्रस्तावित कर रहा हूँ/रहे हैं।

1. मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तावित निविदा राशि (लाइसेन्स फीस) रू0 .... (अंको में) रू0 .... (शब्दो में) प्रति माह है।
2. मैं/हम उपरोक्त वाहन/साइकिल स्टैण्ड के स्थान एवं स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट हैं तथा निविदा पपत्र के साथ संलग्न सभी शर्तो को ध्यान से पढ़ा हूँ/पढ़े हैं। मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/है कि उपरोक्त वाहन/साइकिल स्टैण्ड का संचालन की निविदा स्वीकृत होने के 07 (सात) दिनों के अन्दर प्रारम्भ कर दूगाँ/देगें।
3. मैं/हम अर्नेस्ट मनी के रूप में कुलसचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के नाम से रू0 50,000/– (रू0 पच्चास हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट नं0 .... (बैंक का नाम) दिनांक .... इस प्रपत्र के साथ संलग्न कर रहा हूँ/रहे हैं जिसकी वापसी की दशा में मेरे/हमारे द्वारा कोई ब्याज प्राप्य नहीं होगा।
4. मैं/हम इस बात से भी सहमत है कि यदि निविदा स्वीकार होने के 7 दिनों के अन्दर मैने/हमने कुल निविदा राशि सहित वस्तु एवं सेवा कर तथा रू0 20,00,000/– (रू0 बीस लाख मात्र) बैंक गारंटी अस्पताल के लिए एवं रू0 3,00,000/– (रू0 तीन लाख मात्र) बैंक गारंटी श्री विश्वनाथ मंदिर के लिए सम्पदा कार्यालय में जमा नहीं किया तो उपरोक्त धरोहर राशि (अर्नेस्ट मनी) को जब्त कर लिया जाएगा।
5. मैं/हम इस बात से भी भिज्ञ है कि कुलसचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय सर्वाधिक राशि वाली निविदा अथवा अन्य किसी निविदा को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं हैं।
6. उपरोक्त प्रस्तावित निविदा राशि मेरे/हमारे द्वारा शब्दो एवं अंकों दोनो में दी गयी है। यदि किसी भी प्रकार से दोनो में अन्तर पाया जाता है तो उनमें से जो राशि अधिक होगी वही मान्य होगा और इस सम्बन्ध में मुझे/हमें विश्वविद्यालय का अन्तिम निर्णय मान्य होगा।

(निविदा कर्ता का नाम) :
पिता/पति का नाम :
पत्राचार हेतु पता :
दिनांकः
फोन/मोबाइन नं0 :
पहचान एवं निवास प्रमाण–पत्र (संलग्नक सहित) :
(आधार कार्ड/वोटर आई0डी0/पैन कार्ड आदि)

FAX: (91) 542-2368487
Website: www.bhu.ac.in
Ph. No. 0542 – 2368487, 230-7251, 6701762

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

(संसद द्वारा जारी अधिसूचना सं0 225, सन् 1916 द्वारा स्थापित)

कुलसचिव कार्यालय (सम्पदा)

<u>सर सुन्दरलाल चिकित्सालय एवं श्री विश्वनाथ मंदिर के पास वाहन/साइकिल स्टैण्ड के संचालन हेतु निविदा की नियम एवं शर्तें</u>

1. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर के सर सुन्दरलाल चिकित्सालय एवं श्री विश्वनाथ मंदिर के निकट वाहन/साइकिल स्टैण्ड के 11 महीनों के संचालन हेतु मुहर बन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती है।
2. निविदा प्रपत्र सम्पदा कार्यालय में दिनांक 01.05.2018 से दिनांक 15.05.2018 तक प्रातः 11.00 बजे से सायं 3.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के दिनों को छोड़कर) रू0 500/– के नकद भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है।
3. पूर्णरूप से भरी हुई निविदा प्रपत्र केन्द्रीय कार्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सम्पदा कार्यालय, वाराणसी में दिनांक 15.05.2018 तक सायं 3.00 बजे तक जमा की जायेगी।
4. प्रत्येक निविदा के साथ रू0 50,000/– (रू0 पच्चास हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी के रूप में कुलसचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी के नाम पर संलग्न करना अनिवार्य है। चैक अथवा नकद भुगतान स्वीकार नहीं किये जायेगें। उक्त अनेस्ट मनी को सफल फर्म/संस्था/व्यक्ति के निविदा राशि में समायोजित कर लिया जायेगा एवं अन्य को 21 दिनों के अन्दर धरोहर राशि लौटा दी जायेगी।
5. अधिकतम निविदा राशि अंकित करने वाले फर्म/संस्था/व्यक्ति की निविदा को सफल निविदा माना जायेगा तथा उनके द्वारा अंकित राशि को उक्त वाहन/साइकिल स्टैण्ड संचालन हेतु प्रतिमाह की अनुज्ञप्ति शुल्क मानी जायेगी।
6. सफल व्यक्ति/संस्था का चयन सुनिश्चित हो जाने के पश्चात उनके द्वारा प्रस्तावित निविदा राशि की कुल धनराशि के साथ ही वस्तु एवं सेवा कर निविदा खुलने के 7 दिनों के अन्दर जमा कर देना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ वाहन/साइकिल स्टैण्ड के संचालन हेतु राशि और बैंक गारंटी रू0 20,00,000/– (रू0 बीस लाख मात्र) अस्पताल के लिए एवं रू0 3,00,000/– श्री विश्वनाथ मंदिर के लिए जमा नहीं किया गया तो उपरोक्त अर्नेस्ट मनी रू0 50,000/– को जब्त कर लिया जायेगा। उक्त धनराशि का भुगतान न करने पर यह समझा जायेगा कि चयनित व्यक्ति/संस्था उपरोक्त वाहन/साइकिल स्टैण्ड संचालन का इच्छुक नहीं है एवं उनके द्वारा जमा की गयी रू0 50,000/– की अर्नेस्ट मनी को विश्वविद्यालय द्वारा जब्त करते हुए अगली अधिकतम राशि अंकित करने वाली निविदा पर विचार किया जायेगा।
7. निविदा राशि पर देय वस्तु एवं सेवा कर 18 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से अथवा समय–2 पर भारत सरकार द्वारा परिवर्तित दर जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रत्येक माह की देय सीमा में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. धरोहर राशि के रूप में उक्त बैंक गारंटी देना अनिवार्य होगा।
9. वस्तु एवं सेवा कर के अतिरिक्त भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–2 पर निर्धारित अन्य कर/शुल्क भी निविदाकर्ता द्वारा देय होगा।
10. निविदा में प्रस्तावित राशि सुपाठ्य एवं साफ सुथरी होनी चाहिए। निविदा राशि शब्दों एवं अंको दोनो में होनी चाहिए। निविदा राशि में की गयी किसी भी प्रकार का संशोधन (Overwriting) निविदा को निरस्त करने के लिए पर्याप्त होगा। यदि शब्दों एवं अंकों में दशायी गयी राशि में किसी प्रकार का अन्तर होता है तो दोनों में से जो अधिक राशि होगा वही मान्य होगी। इस संबंध में विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।।
11. दो या अधिक फर्मो/संस्थाओं/व्यक्तियों द्वारा अंकित की गई निविदा राशि समान पाये जाने पर, वाहन/साइकिल स्टैण्ड संचालन हेतु व्यक्ति/संस्था के चयन का अधिकार काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के पास होगा जो अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
12. अहस्ताक्षरित निविदा को अयोग्य धोषित करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।
13. सर सुन्दरलाल चिकित्सालय में वाहन/साइकिल स्टैण्ड का संचालन (संलग्न 07 स्थानों का) एक ही फर्म/संस्था/व्यक्ति द्वारा किया जायेगा एवं यदि चिकित्सा अधीक्षक की सहमति हुई तो संदर्भित स्थानों के अलावा चिकित्सालय परिसर में अन्य स्थानों पर भी चयनित फर्म/संस्था/व्यक्ति को वाहन/साइकिल स्टैण्ड का संचालन करना होगा।

14. इच्छुक फर्मों/संस्थाओं/व्यक्तियों को यह सुझाव दिया जाता है कि वे निविदा राशि अंकित करने से पूर्व वाहन/साइकिल स्टैण्ड सुविधा के लाभार्थियों तथा स्टैण्ड हेतु उपलब्ध एरिया का आकलन करके ही निविदा राशि अंकित करें क्योंकि बाद में इन्हें आधार बनाकर निविदा दर में किसी प्रकार की शिथिलता का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
15. उक्त वाहन/साइकिल स्टैण्ड के आवंटी द्वारा विश्वविद्यालय के छात्रों, अध्यापकों एवं कर्मचारियों से कोई पार्किंग शुल्क नहीं वसूल किया जायेगा एवं उन्हें इसके लिए एक अलग टोकन जारी किया जाऐगा।
16. वाहन/साइकिल स्टैण्ड में नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों द्वारा साईकिल स्टैण्ड के लाभार्थिंयों एवं विश्वविद्यालय के छात्रों/कर्मचारियों एवं अध्यापकों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षा होगी।
17. वाहन/साइकिल स्टैण्ड के संचालक को पार्किंग हेतु आये वाहन/साइकिल निर्धारित क्षेत्र में ही रखना होगा।
18. चयनित फर्म/संस्था/व्यक्ति किसी भी रूप में वाहन/साइकिल स्टैण्ड के संचालन हेतु बाल श्रमिक को नहीं रखेगी।
19. चयनित फर्म/संस्था/व्यक्ति के द्वारा नियुक्त वाहन/साइकिल स्टैण्ड में कार्यरत किसी भी कर्मचारी को किसी भी संक्रामक बिमारी से ग्रसित होने पर तत्काल प्रभाव से उन्हें तुरन्त सेवा से वंचित करना होगा।
20. विश्वविद्यालय सेवा में कार्यरत कोई भी कर्मचारी अथवा छात्र उपरोक्त निविदा को नहीं भर सकता।
21. चार पहिया वाहनों के पार्किंग हेतु दिया जाने वाले टिकट स्वः मुद्रित मशीन (Self Printing Ticket Machine) द्वारा दिया जाना अनिवार्य होगा।
22. विश्वविद्यालय बिना कारण बताये आमन्त्रित निविदा को रद्द करने का अधिकार रखता है।
23. प्रथमतः वाहन/साइकिल स्टैण्ड का अस्थायी आवंटन निविदाकर्ता की पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर 11 माह की अवधि के लिए अनुबन्ध किया जायेगा। जो कि लाईसेन्स प्रदत्त फर्म/संस्था/व्यक्ति के कार्य की गुणवत्ता इत्यादि को देखकर बढ़ायी भी जा सकती है। लाइसेंस अवधि बढ़ाये जाने की स्थिति में लाइसेंस फीस पर 5 प्रतिशत की आवश्यक बढ़ोतरी भी की जायेगी, जो लाइसेंस प्रदत्त फर्म/संस्था/व्यक्ति को मान्य होगा।
24. अनुज्ञप्तिधारी अथवा उसके द्वारा नियोजित किसी कर्मचारी के द्वारा दुर्व्यवहार बल–प्रयोग अथवा हिंसा किये जाने पर अनुज्ञप्ति निरस्त की जा सकती है।
25. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा साइकिल स्टैण्ड हेतु निर्धारित जगहों पर सी0सी0टीवी कैमरा लगाना आवश्यक होगा एवं जिसके रख–रखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिधारी की होगी।
26. अनुबन्ध से संबंधित वाद का निस्तारण व्यवहार न्यायालय, वाराणसी द्वारा होगा।
27. श्री विश्वनाथ मंदिर पर वाहन/साइकिल स्टैण्ड के संचालन हेतु प्रदत्त लाइसेंसी को जर्नलिज्म विभाग के सामने कर्मचारियों व विद्यार्थियों हेतु निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था अपने कर्मचारी को रखकर करनी होगी।
28. श्री विश्वनाथ मंदिर पर वाहन/साइकिल स्टैण्ड के संचालन हेतु सड़क के दोनों किनारो पर (ऐग्रो कैफे से लेकर भारतीय प्रौधेगिकी संस्थान के चौराहे तक) स्थान निर्धारित है।
29. अस्पताल में वाहन/साइकिल स्टैण्ड के संचालन हेतु न्यूनतम लाइसेंस फीस रू0 3,00,000/– निर्धारित की गई है। इससे कम राशि अंकित करने पर निविदा स्वीकार्य नहीं की जायेगी।
30. श्री विश्वनाथ मंदिर के पास वाहन/साइकिल स्टैण्ड के संचालन हेतु न्यूनतम लाइसेंस फीस रू0 1,00,000/– निर्धारित की गई है। इससे कम राशि अंकित करने पर निविदा स्वीकार्य नहीं की जायेगी।
31. वाहन/साइकिल स्टैण्ड में लिए जाने वाला शुल्क निम्न दर से देय होगाः

चार पहिया बड़ा वाहन	रू0 20/– प्रति वाहन
चार पहिया छोटा वाहन	रू0 10/– प्रति वाहन
आटो रिक्शा	रू0 10/– प्रति वाहन
स्कूटर/मोटर साइकिल	रू0 5/– प्रति वाहन
साइकिल	रू0 2/– प्रति वाहन

कुलसचिव
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय